क्रम संख्या–14

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन०–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 27 जनवरी, 2014 ई0

माघ 07, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 34 / XXXVI(3) / 2014 / 04(1) / 2014

देहरादून, 27 जनवरी, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 27 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–03 वर्ष 2014)

(भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 62 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 62 में निम्नवत एक परन्तुक जोड दिया जायेगा, अर्थात– "परन्तु यह कि प्रथम कुलपति का कार्यकाल विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि के लिए बढाया जा सकेगा"।
निरसन एवं व्यावृत्ति	3.	(1) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (अध्यादेश संख्या 5 वर्ष 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।